न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कसेरा , I.A.S.

प्रकरण संख्या --23/2018 (अपील)

बालचंद पुत्र पन्नालाल जाति कलाल निवासी—476, रामजानकी मंदिर रोड, केशवपुरा कोटा (राज.)

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र पन्ना, जाति कलाल
2. महावीर पुत्र पन्ना, जाति कलाल, निवासीगण गणेश जी के मंदिर के पास ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा

———रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956, विरूद्व आदेश दिनांक 27.3.2017 नामान्तकरण सं0 1652 तहसीलदार लाडपुरा

उपस्थिति

1. श्री अशोक चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेन्द्र मालवीय, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 17.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम रानपुर नामा0 सं0 1652 दिनांक 27.03.2017 में आदेश पारित किया कि "मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, भू.अ.नि. व पंजीकृत वसीयतनामे तथा राज. उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 व 30 के अनुसार नामा0 स्वीकार है ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.12.2017 को पेश कर कथन किया है कि अपीलांट व रेस्पो. कम 1 व 2 रिश्ते में सबे भाई है, और रेस्पो. कम 1 व 2 द्वारा अपीलांट की स्वर्गीय मां छोटी बाई जिनका कि स्वर्गवास दिनांक 26.6.2016 को हो चुका है, उनके हिस्से की कृषि भूमि खसरा नं0 361, 362, 363, 364, 365, 1071, 1367 की लगभग भूमि 20 बीघा स्थित ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, जिसमें अपीलांट की माता का 1/5 हिस्सा लगभग 4 बीघा उनके हिस्से में आती है और माता की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की आराजी का फौती इंतकाल चारों भाईयों के नाम खुलना चाहिए जिसका आवेदन अपीलांट कम 1 बालचंद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा को दिनांक 21.8.2016 को दिया जा चुका है, जिस पर तहसीलदार द्वारा फौती इंतकाल नहीं खोला गया । रेस्पो0 कम 1 व 2 ने स्व. माता की झूठी फर्जी वसीयत तैयार करवाकर उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार लाडपुरा एवं कानूनगो पटवारी से मिलीभगत करके अपने नाम माता की हिस्सा आराजी का इंतकाल खुलवा लिया जबकि अपीलांट द्वारा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

दिनांक 21.8.2016 को बालचंद द्वारा तहसीलदार लाडपुरा कोटा को फौती इंतकाल चारों भाईयों के नाम खोलने का आवेदन किया हुआ था लेकिन अधीनस्थ न्ययालय तहसीलदार लाडपुरा एवं कानूनगों व पटवारी हल्का द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए फर्जी व झूठी वसीयत के आधार पर वसीयत की बिना जांच कराये ही फौती इंतकाल खोलने में कानूनी त्रुटि की है, जो आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलांट की माता ने अपने जीवनकाल में किसी के पक्ष में कोई वसीयत आलेखित नहीं की है, यदि कोई वसीयत आदि आलेखित करती, निष्पादित की जाती तो अपीलांट को निश्चित रूप से जानकारी होती, रेस्पो कम 1 व 2 ने गलत फर्जी वसीयत तैयार की है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये बिना जांव किये उक्त आदेश पारित करने में कनूनी त्रुटि की है जो अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.3.2017 के विरूद्व माननीय न्यायालय में अपील पेश नहीं कर सकें, काश्तकारी कार्य में व्यस्त रहे, अब समय मिलने पर अविलम्ब यह अपील पेश की जा रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत अपास्त फरमाते हुए उक्त आराजीयात जिसका वर्णन अपील की मद कम 2 में दिया गया है, उस पर अपीलांट की माता का हिस्सा 1/5 आराजी को अपीलांट व रेस्पो0 कम 1 व 2 के नाम बराबर बराबर रूप से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमायी जाने का आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । वकील अपीलांट व वकील रेस्पोडेन्ट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया और कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो. कम 1 व 2 रिश्ते में सगबे भाई है, और रेस्पो. कम 1 व 2 द्वारा अपीलांट की स्वर्गीय मां छोटी बाई जिनका कि स्वर्गवास दिनांक 26.6.2016 को हो चुका है, उनके हिस्से की कृषि भूमि खसरा नं0 361,362,363,364,365,1071,1367 की लगभग भूमि 20 बीघा स्थित ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, जिसमें अपीलांट की माता का 1/5 हिस्सा लगभग 4 बीघा उनके हिस्से में आती है और माता की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की आराजी का फौती इंतकाल चारों भाईयों के नाम खुलना चाहिए जिसका आवेदन अपीलांट कम 1 बालचंद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा को दिनांक 21.8.2016 को दिया जा चुका है, जिस पर तहसीलदार द्वारा फौती इंतकाल नहीं खोला गया । रेस्पो0 कम 1 व 2 ने स्व. माता की झूठी फर्जी वसीयत तैयार करवाकर उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार लाडपुरा एवं कानूनगो पटवारी से मिलीभगत करके अपने नाम माता की हिस्सा आराजी का इंतकाल खुलवा लिया जबकि अपीलांट द्वारा दिनांक 21.8.2016 को बालचंद द्वारा तहसीलदार लाडपुरा कोटा को फौती इंतकाल चारों भाईयों के नाम खोलने का आवेदन किया हुआ था लेकिन अधीनस्थ न्ययालय तहसीलदार लाडपुरा एवं कानूनगों व पटवारी हल्का द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए फर्जी व झूठी वसीयत के आधार पर वसीयत की बिना जांच कराये ही फौती इंतकाल खोलने में कानूनी त्रुटि की है, जो आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत अपास्त फरमाते हुए उक्त आराजीयात जिसका वर्णन अपील की मद कम 2 में

Scanned by CamScanner

दिया गया है, उस पर अपीलांट की माता का हिस्सा 1/5 आराजी को अपीलांट व रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के नाम बराबर बराबर रूप से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमायी जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि मृतक खातेदार छोटी बाई द्वारा रेस्पो0 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 20.8.2009 को निष्पादित की गई जिसका पंजीयन उप पंजीयक मण्डाना द्वारा किया गया है, उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है, चूंकि मृतक छोटी बाई उनकी मां थी, जिन्होने अपने जीवनकाल में ही रेस्पो0 1 व 2 के पक्ष में अपने हिस्से की अचल सम्पत्ति 1/5 हिस्सा की वसीयत कर दी गई थी, इस कारण फौती नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील नामा0 सं0 1652 ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा दिनांक 27.3.2017 के विरूद्व दिनांक 22.12.2017 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । विलम्ब से अपील पेश करने का कारण काश्तकारी में व्यस्त रहना बताया है । अपील विलम्ब से पेश करने का कारण युक्तियुक्त नहीं हैं, किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अवधि मध्य मानी जाती है ।

7. मृतक छोटी बाई द्वारा अपने जीवनकाल में ही उनके हिस्से की कृषि भूमि खसरा नं0 361, 362, 363, 364, 365, 1071, 1367 की लगभग भूमि 20 बीघा स्थित ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा, 1/5 हिस्सा लगभग 4 बीघा की वसीयत रेस्पोडेन्ट अपने पुत्र मांगीलाल एवं महावीर के नाम कर दी जाने से छोटी बाई की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामा0 खोला गया है, जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं मानते है । छोटी बाई द्वारा अपने हिस्से की वसीयत जीवनकाल में ही कर दी जाने से उनका फौती इन्तकाल नहीं खोला जा सकता है । ऐसी स्थिति में अपीलांट को वसीयत के खिलाफ सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए ।

8. अतः अपील अपीलांट आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सं0 1652 दिनांक 27.3.2017 ग्राम रानपुर यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा